न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर0ए0एस0)

मुकदमा नं. /2017

1. भूरा पुत्र स्व. भैरू
2. सूरज पुत्र स्व. चौथू
3. शिशुपाल पुत्र स्व. श्रीकिशन
   समस्त जातियान माली, निवासी डाबिच, तह. फागी, जिला जयपर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र स्व. श्रीकिशन
2. रामावतार पुत्र स्व. श्रीकिशन
3. तुलसी देवी पत्नी स्व. श्रीकिशन
4. कानी देवी पुत्री स्व. श्रीकिशन
5. लाली देवी पुत्री स्व. श्रीकिशन
6. लक्ष्मा देवी पत्नी स्व. चौथू
7. बिरदी देवी पुत्री स्व. चौथू
   समस्त जातियान माली, निवासी डाबिच, तह. फागी, जिला जयपुर।
8. रामगोपाल पुत्र रामधन, जाति महाजन, निवासी डाबिच, तह. फागी, जिला जयपुर।
9. सब रजिस्ट्रार माधोराजपुरा, तह. फागी, जिला जयपुर।
10. तहसीलदार फागी, तह. फागी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:–

दिनांक :–22.05.2018

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त उनवानी शीर्षकीय वाद विधिवत रूप से एवं ठोस आधारों पर प्रस्तुत कर दिया है। विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 194 के आराजी खसरा नम्बर 994 रकबा 3 बिस्वा, 995 रकबा 6 बिस्वा, 998 रकबा 7 बिस्वा, 1001 रकबा 10 बिस्वा, 1004 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके ग्राम डाबिच, पटवार हल्का डाबिच, तह. फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 एवं अप्रार्थी संख्या 6 व 7 का 1/3 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 3 व अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 5 का 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते

Scanned by CamScanner

चले आ रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 एक ही सयुंक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पिता/दादा स्व. भैरू की खातेदारी भूमि है। वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट उक्त आराजी का पर्चा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 के पिता/दादा स्व. भैरू उर्फ भैहरा पुत्र मांग्या, जाति माली, निवासी डाबिच, तह. फागी, जिला जयपुर के नाम से आया था। भैरू की मृत्यु के पश्चात् उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके उक्त वारिसान के नाम नहीं खोला गया बल्कि ग्राम पंचायत डाबिच के तत्कालीन सरपंच रामधन सोडानी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुये विधि विरूद्ध नाजायज तरीके से अपने पुत्र रामगोपाल के नाम नामान्तकरण खोल दिया जिसका ग्राम पंचायत सरपंच को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 8 ने अपने पिता के सरपंच रहते हुये अधिकारों से परे जाकर अपने पक्ष में नामान्तकरण संख्या 7 दिनांक 14.12.1959 को ग्राम पंचायत डाबिच से अपने पक्ष में तस्दीक करवाया है जो बमूकाबले प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 के हद तक प्रभावहीन व शून्य है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं काश्तकारी अधिनियम के तहत स्व. भैरू की विरासत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 8 ने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 को अपने हिस्से से महरूम करने के उद्देश्य से अन्य दीगर व्यक्तियों एवं भू–माफियों के साथ मिलकर उक्त आराजी को रहन, बेचान कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 को अपने कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है, जिसका अप्रार्थी संख्या 8 को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 8 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 को उनकी कब्जेकाश्त से महरूम करने के आशय में हमेशा रखता आया है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 8 के नाम दर्ज है जबकि उक्त आराजीयात पर वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट सम्वत् 2011 से ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 के दादा/परदादा भैरू का कब्जा चला आ रहा है उसके पश्चात् प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है मौके पर उक्त आराजी में सावणू की फसल काश्त रखी है। अप्रार्थी संख्या 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी को रहन, बेचान कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 की हिस्से की आराजी पर लाकर बैचान करने की बातचीत करते हैं जबकि प्रार्थीगण ने अपने हिस्से को बाहमी बंटवारा कर काश्त कर रखी है परन्तु अप्रार्थी संख्या 8 अपने गलत नाम नामान्तकरण खुलवाने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण को उनके जन्मजात पुश्तैनी पर्चाशुदा भूमि से वंचित करने के आशय से उक्त भूमि भी बेचान करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी संख्या 8 को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उक्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 की कब्जेशुदा पुश्तैनी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 की कब्जेशुदा पुश्तैनी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 अपने बुजुर्गों के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त आराजी का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 8 के नाम गलत खुलवा लिया है जिसका अप्रार्थी संख्या 8 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 8 को कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है बल्कि जब प्रार्थीगण ने उक्त आराजी पर किसान कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का से नकले प्राप्त की तो

Scanned by CamScanner

पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि उक्त आराजी आपके नाम नहीं है। जब प्रार्थीगण ने उक्त रिकार्ड की नकले लेकर अप्रार्थी संख्या 8 से सम्पर्क किया तो अप्रार्थी संख्या 8 ने कहा कि मेरे नाम तुम्हारी भूमि गलत नाम लग गई है, मैं तुम्हारे नाम लगवा दूंगा लेकिन अप्रार्थी संख्या 8 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया एवं उक्त आराजी को नाम लगवाने से मना कर दिया एवं उक्त आराजी को अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। अगर अप्रार्थी संख्या 8 उक्त आराजी को अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर रहन, बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को असहनीय हानि होगी एवं व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढ़ेगी। इसलिए न्यायहित में अप्रार्थी संख्या 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 25.07.2017 को प्रार्थीगण अपने कब्जे व हिस्से की आराजी पर सावणू की फसल को सम्भालने गये तो अप्रार्थी संख्या 8 व कुछ अन्य व्यक्ति थे जो आराजी पर आये व प्रार्थीगण को काश्त करने से मना करने लगे। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से में काश्त करने से मना करने का आशय पूछा तो कहने लगे कि इस सम्पूर्ण भूमि का बेचान का सौदा कर दिया है, अब तुम काश्त मत करो शीघ्र रजिस्ट्री करवा देंगे। प्रार्थीगण अपने हिस्से के लिए कहने लगे तो अप्रार्थी संख्या 8 के साथ आये दलाल आवेश में आकर कहने लगे की राजी से कब्जा छोड दो नहीं तो लाठी के बल पर कब्जा कर लेंगे, तुम देखते रहना यह सम्पूर्ण भूमि अकेले हमारे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं हमने खाली कागजों व स्टाम्पों पर हस्ताक्षर करवा लिये है। इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है। अप्रार्थी संख्या 8 अपने उपरोक्त मनसुबों में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपने जन्मजात, पुश्तैनी, खातेदारी हक व हिस्सें से वंचित होना पडेगा व अपने परिवार के पालन–पोषण करने में भयंकर समस्या उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि प्रार्थीगण के पास में अन्य कोई कमाई का साधन नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 8 पेश करना लाजमी आया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीगण के पक्ष में सुदृढ एवं बखूबी साबित हैं। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सुदृढ एवं बखूबी साबित है, क्योंकि प्रार्थीगण आराजी भूमि में अपने हिस्से की खातेदारी पर काबिज काश्त है जिसे यदि अप्रार्थीगण दीगर व्यक्तियों को आराजी का बेचान कर उसके कब्जे के स्थान पर प्रार्थीगण के कब्जे पर क्रेता आकर काबिज होकर प्रार्थीगण को बेदखल कर देगा तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयें, पैसों में नहीं की जा सकेगी इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर विनम्र निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता फैसला मूल वाद इस अमर से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में वर्णित आराजीयात को रहन, बैय, मुंतकिल न करे, न आराजी पर से प्रार्थीगण को बेदखल करे, न करावें। प्रार्थीगण को शांति पूर्वक काबिज काश्त, उपयोग–उपभोग करने देवें इसमें किसी प्रकार की मजाहमत न स्वयं करे, न करावें। मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 9 व 10 को हुक्मनामा जारी फरमाया जावें।

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई अप्रार्थी संख्या 8 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि वाके ग्राम डाबिच तहसील फागी मे स्थित होना स्वीकार है, उक्त आराजीयात को प्रार्थीगण के दादा भैरू ने अपनी सहमति से अप्रार्थीगण को संभला दिया एवं उक्त आराजी वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व ही प्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज हो गई जिससे प्रार्थीगण के दादा भैरू उर्फ भैहरा पुत्र मांग्या ने ग्राम पंचायत डाबिच में समक्ष कोरम व गवाहान के उपस्थित होकर उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 8 के नाम अपनी सहमति से लगा दिया उक्त नामान्तकरण संख्या 7 दिनांक 14.12.1959 को अप्रार्थी संख्या 8 के नाम लगाकर ग्राम पंचायत व नामान्तकरण की पुस्त पर हस्ताक्षर किये है। उक्त आराजी ख.नं. 994 रकबा 3 बिस्वा, 995 रकबा 6 बिस्वा, 998 रकबा 7 बिस्वा, 1001 रकबा 10 बिस्वा, 1004 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण संख्या 7 दिनांक 14.12.1959 को प्रार्थीगण के दादा भैरू ने अपनी सहमति के हस्ताक्षर कर अप्रार्थी संख्या 8 के नाम लगवाया है। उक्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 8 के पक्ष में नामान्तकरण विधि अनुसार खोला गया है, जिसकी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्याा 1 लगा. 7 को पूर्णतः जानकारी रही है। उक्त प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 8 के अपने नाम उक्त आराजी विधि के प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण के दादा भैरू की सहमति से करवाई है। उक्त आराजी के अप्रार्थी संख्या 8 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वरवक्त नामान्तकरण संख्या 7 दिनांक 14.12.1959 के समय ग्राम पंचायत को ही सहमति के आधार पर आराजी में नाम दुरूस्त करने एवं नाम लगवाने का क्षेत्राधिकार रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 के पिता/दादा भैरू उर्फ भैहरा ने ग्राम पंचायत की कोरम एवं समक्ष गवाहान के अपनी सहमति के हस्ताक्षर किये है जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 एस्टोपल के सिद्धान्त से एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 के वारिसान कानूनन पाबंद है। प्रार्थीगण कानूनन उक्त आराजी की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी नहीं है बल्कि अप्रार्थी संख्या 8 ने उक्त आराजी पर अपने बूजूर्गो के समय से ही काबिज होकर प्रार्थीगण के दादा भैरू की सहमति से अपने नाम लगवाकर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने जानबुझ कर बिना विधिक अधिकारों के ही उक्त वाद/प्रा. पत्र मियाद अधिनियम के प्रावधानों के बाहर जाकर पेश किया है जो मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

खण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

बहस उभय पक्ष सुनी गई प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पिता/दादा स्व. भैरू की खातेदारी भूमि है। वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट उक्त आराजी का पर्चा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 के पिता/दादा स्व. भैरू उर्फ भैहरा पुत्र मांग्या, जाति माली, निवासी डाबिच, तह. फागी, जिला जयपुर के नाम से आया था। भैरू की मृत्यु के पश्चात् उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके उक्त वारिसान के नाम नहीं खोला गया बल्कि ग्राम पंचायत डाबिच के तत्कालीन सरपंच रामधन सोडानी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुये विधि विरूद्ध नाजायज तरीके से अपने पुत्र रामगोपाल के नाम नामान्तकरण खोल दिया जिसका ग्राम पंचायत सरपंच को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 8 ने अपने पिता के सरपंच रहते हुये अधिकारों से परे जाकर अपने पक्ष में नामान्तकरण संख्या 7 दिनांक 14.12.1959 को ग्राम पंचायत डाबिच से अपने पक्ष में तस्दीक करवाया है जो बमूकाबले प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 के हद तक प्रभावहीन व शून्य है। अप्रार्थी संख्या 8 अपने गलत नाम नामान्तकरण खुलवाने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण को उनके जन्मजात पुश्तैनी पर्चाशुदा भूमि से वंचित करने के आशय से उक्त भूमि भी बेचान करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी संख्या 8 को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन न्यायोचित है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे न ही उक्त आराजी का रहन, बेचान करे, इसलिये प्रथम दृष्टिया केस व सुविधा का संतुलन अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रबल है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ता–फैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान बताया कि उक्त आराजीयात को प्रार्थीगण के दादा भैरू ने अपनी सहमति से अप्रार्थीगण को संभला दिया एवं उक्त आराजी वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व ही प्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज हो गई जिससे प्रार्थीगण के दादा भैरू उर्फ भैहरा पुत्र मांग्या ने ग्राम पंचायत डाबिच में समक्ष कोरम व गवाहान के उपस्थित होकर उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 8 के नाम अपनी सहमति से लगा दिया उक्त नामान्तकरण संख्या 7 दिनांक 14.12.1959 को अप्रार्थी संख्या 8 के नाम लगाकर ग्राम पंचायत व नामान्तकरण की पुस्त पर हस्ताक्षर किये है। उक्त आराजी ख.नं. 994 रकबा 3 बिस्वा, 995 रकबा 6 बिस्वा, 998 रकबा 7 बिस्वा, 1001 रकबा 10 बिस्वा, 1004 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण संख्या 7 दिनांक 14.12.1959 को प्रार्थीगण के दादा भैरू ने अपनी सहमति के हस्ताक्षर कर अप्रार्थी संख्या 8 के नाम लगवाया है। उक्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 8 के पक्ष में नामान्तकरण विधि अनुसार खोला गया है, जिसकी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्याा 1 लगा. 7 को पूर्णतः जानकारी रही है। उक्त प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 8 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है। रिकार्डेड खातेदार को कानूनन पाबंद नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी सावित है अगर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी एवं व्यर्थ में मुकदमे बाजी बढ़ेगी इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना आवश्यक है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन करने पर पाया कि उक्त अप्रार्थी संख्या 8 के अपने नाम उक्त आराजी विधि के प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण के दादा भैरू की सहमति से करवाई है। उक्त आराजी के अप्रार्थी संख्या 8 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वरवक्त नामान्तकरण संख्या 7 दिनांक 14.12.1959 के समय ग्राम पंचायत को ही सहमति के आधार पर आराजी में नाम दुरूस्त करने एवं नाम लगवाने का क्षेत्राधिकार रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 के पिता/दादा भैरू उर्फ भैहरा ने ग्राम पंचायत की कोरम एवं समक्ष गवाहान के अपनी सहमति के हस्ताक्षर किये है जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 एस्टोपल के सिद्धान्त से एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 7 के वारिसान कानूनन पाबंद है। अप्रार्थी संख्या 8 ने प्रार्थीगण के दादा भैरू की सहमति से अपने नाम लगवाकर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने जानबुझ कर बिना विधिक अधिकारों के ही उक्त वाद/प्रा.पत्र मियाद अधिनियम के प्रावधानों के बाहर जाकर पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 8 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित होना पाया जाता है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ हम फिता हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को राजस्व केम्प ग्राम पंचायत परवण में सरे इजलास सुनाया गया।

22/05/18

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner